

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)  
8वीं तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली - 110002

सं० फा० 14(12)/एलए-2011/44aw/260

दिनांक 29 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

सं० फा० 14(12)/एलए-2011/44aw/260 - भारत की राष्ट्रपति की दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

**"दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011  
(2011 का दिल्ली अधिनियम 12)**

(01 दिसम्बर, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[23 दिसम्बर, 2011]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाए।
- (2) यह प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी ऐसे उपबंध में किसी उल्लेख को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के लिये एक उल्लेख के रूप में मान लिया जायेगा।

2. सामान्य :- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में (इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित-
  - (क) "निगम" अथवा "निगम" शब्द जहां भी आए हैं के स्थान पर "कोई निगम", "प्रत्येक निगम", "हर एक निगम" या "निगमों", जैसी भी स्थिति हो, शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) विभिन्न धाराओं में आए शब्दों "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर धारा 2(43), 2(51), 3 (6), 9(1)(जी), 22(8), 31, 54, 90(8), 96(ग), 106, 185, 195(1), परन्तुक से 195(2), 485, 486, 487, 488 तथा 490, 490क धाराओं को छोड़कर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ग) धारा 3 (6), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147(1), 298, 301, 355, 394, 399 तथा 481 में आए शब्द के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

तथा यह किसी वाक्य में भी किया जाएगा जिसमें ये शब्द ऐसे परिवर्तनों के साथ आते हैं जैसा व्याकरण के नियम अपेक्षा करते हैं।

3. धारा 2 का संशोधन:— मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (6), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(6) "आयुक्त" का अर्थ निगमायुक्त से है;"

(ख) खंड (7), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(7) "निगम" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम से है;"

(ग) खंड (51) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "तथा सरकार" शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

4. मूल अधिनियम में अध्याय—II, के शीर्षक के स्थान पर नये शीर्षक का प्रतिस्थापन — अध्याय— II, के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"निगमों की स्थापना"

44

अनुसार होंगी;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) इस प्रकार स्थापित प्रत्येक निगम का निकाय निगम होगा जिसका सरकार द्वारा भलीभाँति अधिसूचित नाम होगा जिसके पास अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित एक सामान्य मोहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकता है तथा उस पर भी वाद चलाया जा सकता है।

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(5) पार्षदों की सीटों की कुल संख्या तथा प्रत्येक निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या निगम की स्थापना के समय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुनिश्चित करेगी।”

(घ) उपधारा (6) में,-

(i) प्रथम परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“प्रावधान है कि दिल्ली में सभी निगमों को किसी भी स्थिति में सीटों की कुल संख्या दो सौ बहत्तर से अधिक नहीं होगी तथा प्रत्येक निगम में सीटों की संख्या का सुनिश्चयन सरकार उस निगम की स्थापना के समय करेगी।”

5/11

(ii) तीसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“यह भी प्रावधान है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने के तत्काल पश्चात् होने वाले प्रथम नगर निगम चुनावों के लिए संबंधित निगम की जनसंख्या वही मानी जायेगी जो 2001 की जनगणना में प्रकाशित और सुनिश्चित की गई थी।”

(ड) उपधारा (7) में,-

(i) “केन्द्र सरकार” शब्दों के स्थान पर “सरकार” शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) “एक तिहाई” शब्दों के लिए “आधा” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(घ) उपधारा (8) में,-

(iii) “केन्द्र सरकार” शब्द जहां भी आते हैं उनके लिए “सरकार” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iv) “एक तिहाई” शब्दों के लिए “आधा” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(7) धारा 3क के लिए नयी धारा का प्रतिस्थापन:- मूल अधिनियम की धारा 3 क के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“3क निगम के क्षेत्र का जोनों तथा वार्डों में विभाजन :- (1) जैसा कि चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है नगर निगम क्षेत्र का विभाजन जोनों में तथा प्रत्येक जोन का विभाजन कई वार्डों में किया जायेगा।

(2) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी जोन या वार्ड की संख्या या नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा इनका क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है।

*See*

8. धारा 5 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में-

- (i) "पार्षद" शब्द के पश्चात् आने वाले शब्द "दिल्ली" के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) उसके अंत में आने वाले शब्द "दिल्ली" के लिए "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
- (ख) उपधारा (2) में "केन्द्र सरकार" शब्दों के लिए "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

9. धारा 6 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 6 में प्रारंभिक वाक्यांश "निगम, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"निगम सरकार के पूर्वानुमोदन से"

10. धारा 52 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में प्रारंभिक वाक्यांश "केन्द्र सरकार, सरकार से परामर्श के पश्चात्" के स्थान पर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. धारा 69 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 69 में "दिल्ली" शब्द को हटाया जायेगा।

12. नयी धारा 90क का सन्निवेशन:- मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

"90क पूर्व निगम के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे -

(1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगमों की स्थापना पर-

(क) पूर्व निगम के वार्ड तथा जोन स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित नयी निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे।

(ख) पूर्व निगम के खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पूर्व निगम के आयुक्त के परामर्श से स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा नयी निगमों में विभाजित किया जायेगा।

13. धारा 99 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (1) इसके अन्तिम वाक्यांश में शब्द तथा कोष्ठक दिल्ली नगर पालिका निधि (इसके बाद इस अधिनियम में "नगर पालिका निधि" के रूप में संदर्भित) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:-

"धारा 3 की उपधारा (1क) (इसके बाद इस अधिनियम में नगर पालिका निधि के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निगम के क्षेत्र के नाम द्वारा"

14. धारा 100 का प्रतिस्थापन :- मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"100. नगर निधि भारतीय स्टेट बैंक में रखी जाए - सामान्य खाते में नगर पालिका निधि के क्रेडिट में देय सभी धनराशियां प्रत्येक निगम के आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाएगी और उक्त खाते में जमा करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक में तत्काल भुगतान की जाएगी जिसका शीर्षक "निगम की नगर निधि का सामान्य खाता होगा।"

15. धारा 203 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित धाराएँ सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने से पूर्व इसके अन्तर्गत बनायी गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार संविदा अवधि की वैधता समाप्त होने तक पहले से ही की गई संविदाएं आयुक्त द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित सम्बद्ध निगमों की ओर से निष्पादित की गई मान ली जाएगी।

16. धारा 298 का संशोधन :- मूल अधिनियम की धारा 298 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक निगम के क्षेत्र में पड़ने वाली सभी गलियाँ, जो गलियाँ हैं या किसी भी समय सार्वजनिक गलियाँ बन गई और खडप्पे, पत्थर तथा इसकी अन्य सामग्री ऐसे निगम में निहित होंगे:

“शर्त यह है कि कोई भी सार्वजनिक गली, जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के तुरन्त पहले संघ में निहित है, संबंधित निगम की सहमति से केन्द्रीय सरकार जब तक ऐसा निदेश नहीं देती है तब तक इस उपधारा के आधार पर ऐसे निगम में निहित होगी।”

17. धारा 479 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 479 में—

(क) उपधारा (2) में शब्द “इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 3 (क) की उपधारा (2) और धारा 52 की उपधारा (2) और धारा 349क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई उपविधियाँ” “के स्थान पर शब्द” धारा 22 के खंड (8) और 31 के अन्तर्गत बनाया प्रत्येक नियम” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(3) इस अधिनियम की धारा 22 (8) और धारा 31 के अन्तर्गत बनाए नियमों, धारा 3क की उपधारा (2) के और धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना एवं धारा 349क के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाई उपविधि के सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गया प्रत्येक नियम के बनने के तुरन्त बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे यह एक या दो सत्र का हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि सत्र के उपरान्त तुरन्त बाद सत्र के समाप्त होने से पहले या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा नियम, उपविधि या अधिसूचना में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिये सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि नियम या उपविधि या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो नियम या उपविधि या अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगी/होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उक्त नियम या उपविधि या अधिसूचना के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. धारा 481क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन :—मूल अधिनियम की धारा 481क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“481क दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले विनियम और रखी जाने वाली उपविधियाँ :- सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक विनियम और धारा 481 के अन्तर्गत बनाई प्रत्येक उपविधि बनने या जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। जब विधानसभा का सत्र कुल तीस दिन का हो, जो एक सत्र या दो सत्रों में या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है और यदि सत्र के तुरन्त बाद सत्रके समाप्त होने से पहले या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा विनियम या उपविधि में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिए सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि विनियम या उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो विनियम या उपविधि इसके बाद केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगी/होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उस विनियम या उपविधि के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. नई धारा 484क का सन्निवेशन :—मूल अधिनियम के अध्याय 24 में इसके शीर्षक के पश्चात् तथा धारा 485 से पूर्व निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

“484क (1) स्थानीय निकायों का निदेशक— सरकार स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति सरकार के कार्य में सहायता के लिए तथा निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन के लिए करेगी—

- (i) उन सामान्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में निगम के उन कार्यों का समन्वय करना, जो निगम के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन हैं जिसके क्षेत्र में वे स्थित हैं;
- (ii) विभिन्न परिसंपत्तियों का उपयोग अन्तरिम रूप से निर्णित करना तथा निगम द्वारा दायित्वों का निर्वहन करना;
- (iii) विभिन्न पदों के लिये भर्ती नियम बनाना;
- (iv) तीन निगमों के गठन के पश्चात् उत्पन्न कठिनाईयाँ या प्रकार्यात्मक तथा प्रशासनिक विसंगतियाँ (यदि कोई हो) को उनके आयुक्तों के परामर्श से सुलझाना;



(v) उन टोल केन्द्रों/गेटों से टोल टैक्स का संग्रहण एवं हिस्से का समन्वय करना जो उन संबंधित निगमों के नियंत्रणाधीन है जिनमें वे यथानिर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर स्थित है।

(2) स्थानीय निकायों का निदेशक निगम के कार्यों के संबंध में सरकार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा (धारा 487 से 490 तक की धाराओं के अधीन शक्तियां नहीं) जैसा सरकार अधिसूचना द्वारा सरकार राजपत्र में तथा शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार (स्वयं द्वारा समीक्षा की शर्त सहित) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(3) स्थानीय निकायों के निदेशक की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों व अनुसार होगा।

(4) सरकार, स्थानीय निकायों के निदेशक को ऐसे स्टॉफ उपलब्ध कराएगी, जैसा सरकार उपधारा (2) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे।

20. नई धारा 490ख का सन्निवेशन :- मूल अधिनियम की धारा 490क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

"490ख- सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन- सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति ऐसी शर्तों के अनुसार होगी (यदि कोई हो) जो अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हो सकती है, इससे अधिकारियों द्वारा या आयुक्त द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग योग्य हो सकती है।"

21. नई धारा 514ख का सन्निवेशन :- मूल अधिनियम में धारा 514क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी :-

44

"514ख. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव— इस अधिनियम में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए, इस अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के बीच प्रतिकूलता की स्थिति में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रभावी रहेंगे।

22. चौदहवीं अनुसूची का प्रतिस्थापन :- मूल अधिनियम में चौदहवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

### चौदहवीं अनुसूची

(धारा 3क देखें)

निगमों के नाम, क्षेत्र एवं सीमाएं

| क्रम सं० | निगम का नाम           | वार्ड संख्या | वार्ड का नाम       | जोन का नाम  |
|----------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1.       | उत्तर दिल्ली नगर निगम | 1            | नरेला              |             |
|          |                       | 2            | बांकनेर            | नरेला       |
|          |                       | 3            | अलीपुर             |             |
|          |                       | 4            | बख्तावरपुर         |             |
|          |                       | 5            | भलस्वा जहाँगीरपुरी | सिविल लाइंस |
|          |                       | 6            | मुकुंदपुर          |             |
|          |                       | 7            | बुराड़ी            |             |
|          |                       | 8            | झंडौदा             |             |
|          |                       | 9            | मलकागंज            |             |
|          |                       | 10           | तिमारपुर           |             |
|          |                       | 11           | मुखर्जी नगर        |             |
|          |                       | 12           | जी०टी०बी० नगर      |             |
|          |                       | 13           | धीरपुर             |             |
|          |                       | 14           | आदर्श नगर          |             |
|          |                       | 15           | सराय पीपल थला      |             |
|          |                       | 16           | जहाँगीरपुरी-1      |             |
|          |                       | 17           | समयपुर बादली       |             |
|          |                       | 18           | लिबासपुर           |             |
|          |                       | 19           | भलस्वा             |             |
|          |                       | 20           | जहाँगीरपुरी-2      |             |
|          |                       | 21           | रोहिणी             |             |
|          |                       | 22           | रिठाला             |             |

|  |    |                      |        |
|--|----|----------------------|--------|
|  | 23 | बुध विहार            |        |
|  | 24 | विजय विहार           |        |
|  | 25 | पूठ कला              |        |
|  | 26 | साहिबाबाद दौलतपुर    |        |
|  | 27 | बेगम पुर             |        |
|  | 28 | बबाना                | नरेला  |
|  | 29 | कराला                |        |
|  | 30 | मुडका                |        |
|  | 31 | नांगलोई जाट पश्चिम   | नजफगढ़ |
|  | 32 | निलोठी               | नरेला  |
|  | 33 | प्रताप नगर           |        |
|  | 34 | निठारी               |        |
|  | 35 | किराडी सुलेमान नगर   |        |
|  | 36 | प्रेम नगर            |        |
|  | 37 | सुल्तानपुरी पूर्व    | रोहिणी |
|  | 38 | मंगोलपुरी उत्तर      |        |
|  | 39 | सुल्तानपुर माजरा     |        |
|  | 40 | सुल्तानपुरी दक्षिण   |        |
|  | 41 | गुरु हरिकिशन नगर     |        |
|  | 42 | पीरागढ़ी             |        |
|  | 43 | नांगलोई पूर्वी       | पश्चिम |
|  | 44 | कुमरुददीन नगर        |        |
|  | 45 | रोहिणी उत्तरी        |        |
|  | 46 | मंगोलपुरी पूर्वी     | रोहिणी |
|  | 47 | मंगोलपुरी            |        |
|  | 48 | मंगोलपुरी पश्चिम     |        |
|  | 49 | रोहिणी उत्तरी        |        |
|  | 50 | रोहिणी केन्द्र       |        |
|  | 51 | रोहिणी पूर्वी        | रोहिणी |
|  | 52 | नहारपुर              |        |
|  | 53 | पीतमपुरा दक्षिणी     |        |
|  | 54 | पीतमपुरा उत्तरी      |        |
|  | 55 | शालीमार बाग उत्तरी   |        |
|  | 56 | शालीमार बाग दक्षिणी  |        |
|  | 57 | पश्चिम विहार दक्षिणी |        |
|  | 58 | पश्चिम विहार उत्तरी  | पश्चिम |
|  | 59 | रानीबाग              |        |
|  | 60 | सरस्वती विहार        |        |
|  | 61 | त्रीनगर              |        |
|  | 62 | रामपुरा              |        |
|  | 63 | कोहाट एकलेव          |        |
|  | 64 | शकरपुर               | रोहिणी |

|    |                        |     |                   |              |
|----|------------------------|-----|-------------------|--------------|
|    |                        | 65  | नीमडी कालोनी      |              |
|    |                        | 66  | सावन पार्क        |              |
|    |                        | 67  | वजीरपुर           |              |
|    |                        | 68  | अशोक विहार        |              |
|    |                        | 69  | कमला नगर          |              |
|    |                        | 70  | राणा प्रताप बाग   |              |
|    |                        | 71  | संगम पार्क        | सिविल लाइंस  |
|    |                        | 72  | मॉडल टाउन         |              |
|    |                        | 73  | शास्त्री नगर      | एस0पी0 जोन   |
|    |                        | 74  | इन्द्र लोक कालोनी |              |
|    |                        | 75  | किशनगंज           | करोल बाग जोन |
|    |                        | 76  | डिप्टी गंज        |              |
|    |                        | 77  | कश्मीरी गेट       |              |
|    |                        | 78  | मजनु का टीला      | सिविल लाइंस  |
|    |                        | 79  | जामा मस्जिद       |              |
|    |                        | 80  | चौदनी चौक         |              |
|    |                        | 81  | मिन्टो रोड        | सिटी         |
|    |                        | 82  | कूचा पंडित        |              |
|    |                        | 83  | बाजार सीताराम     |              |
|    |                        | 84  | तुर्कमान गेट      |              |
|    |                        | 85  | ईदगाह रोड         | एस0पी0 जोन   |
|    |                        | 86  | बल्लीमारान        | सिटी         |
|    |                        | 87  | राम नगर           |              |
|    |                        | 88  | कसाबपुरा          |              |
|    |                        | 89  | पहाड़गंज          | स0पी0 जोन    |
|    |                        | 90  | मॉडल बस्ती        |              |
|    |                        | 91  | करोल बाग          |              |
|    |                        | 92  | देव नगर           | करोल बाग जोन |
|    |                        | 93  | बलजीत नगर         |              |
|    |                        | 94  | पश्चिमी पटेल नगर  |              |
|    |                        | 95  | पूर्वी पटेल नगर   | करोल बाग जोन |
|    |                        | 96  | न्यू रणजीत नगर    |              |
|    |                        | 97  | कीर्ति नगर        |              |
|    |                        | 98  | मानसरोवर गार्डन   |              |
|    |                        | 99  | मोती नगर          | पश्चिमी      |
|    |                        | 100 | कर्मपुरा          |              |
|    |                        | 149 | राजिन्दर नगर      |              |
|    |                        | 150 | पूसा              |              |
|    |                        | 151 | इन्द्रपुरी        | करोलबाग जोन  |
|    |                        | 152 | नारायणा           |              |
| 2. | दक्षिण दिल्ली नगर निगम | 101 | राजा गार्डन       |              |

|  |     |                   |         |
|--|-----|-------------------|---------|
|  | 102 | रघुबीर नगर        | पश्चिमी |
|  | 103 | पंजाबी बाग        |         |
|  | 104 | मादीपुर           |         |
|  | 105 | राजौरी गार्डन     |         |
|  | 106 | टैगोर गार्डन      |         |
|  | 107 | विष्णु गार्डन     |         |
|  | 108 | ख्याला            |         |
|  | 109 | जनकपुरी उत्तर     |         |
|  | 110 | नागल राया         | पश्चिमी |
|  | 111 | हरी नगर           |         |
|  | 112 | सुभाष नगर         |         |
|  | 113 | मालवीय नगर        |         |
|  | 114 | तिलक नगर          |         |
|  | 115 | मेजर भूपिन्दर नगर |         |
|  | 116 | विकासपुरी पूर्वी  |         |
|  | 117 | जनकपुरी पश्चिमी   |         |
|  | 118 | जनकपुरी दक्षिणी   | नजफगढ़  |
|  | 119 | मिलाप नगर         |         |
|  | 120 | सीतापुरी          | पश्चिमी |
|  | 121 | कवर सिंह नगर      |         |
|  | 122 | हस्तसाल           |         |
|  | 123 | विकासपुरी         | पश्चिमी |
|  | 124 | विकास नगर         |         |
|  | 125 | मोहन गार्डन       |         |
|  | 126 | नवादा             |         |
|  | 127 | उत्तम नगर         |         |
|  | 128 | बिंदापुर          |         |
|  | 129 | डाबरी             | नजफगढ़  |
|  | 130 | मंगलापुरी         |         |
|  | 131 | सागरपुर           |         |
|  | 132 | सागरपुर पश्चिमी   |         |
|  | 133 | छावला             |         |
|  | 134 | नगली सकरावती      |         |
|  | 135 | ककरौला            |         |
|  | 136 | मटियाला           |         |
|  | 137 | रोशनपुरा          |         |
|  | 138 | नजफगढ़            |         |
|  | 139 | दिचाऊ कला         |         |
|  | 140 | खेडा              |         |
|  | 141 | बिजवासन           |         |
|  | 142 | राज नगर           |         |
|  | 143 | कापसडेहा          |         |

|  |     |                       |           |
|--|-----|-----------------------|-----------|
|  | 144 | महिपालपुर             | नजफगढ़    |
|  | 145 | पालम                  |           |
|  | 146 | साध नगर               |           |
|  | 147 | महावीर एकलेव          |           |
|  | 148 | मधु विहार             |           |
|  | 153 | दरियागंज              | सिटी      |
|  | 154 | निजामुद्दीन           |           |
|  | 155 | लाजपत नगर             |           |
|  | 156 | भोगल                  | केन्द्रीय |
|  | 157 | कस्तूरबा नगर          |           |
|  | 158 | कोटला मुबारकपुर       |           |
|  | 159 | एन्डरयूज गंज          |           |
|  | 160 | अमर कालोनी            |           |
|  | 161 | मालवीय नगर            |           |
|  | 162 | हौजखास गॉव            |           |
|  | 163 | सफदरजंग एकलेव         |           |
|  | 164 | हौजखास                |           |
|  | 165 | वसंत विहार            |           |
|  | 166 | मुनिरका               | दक्षिणी   |
|  | 167 | आर०के० पुरम           |           |
|  | 168 | नानक पुरा             |           |
|  | 169 | लाडो सराय             |           |
|  | 170 | महरीली                |           |
|  | 171 | वसंत कुंज             |           |
|  | 172 | किशनगढ़               | नजफगढ़    |
|  | 173 | सयैद उल अजायब         |           |
|  | 174 | छतरपुर                |           |
|  | 175 | आया नगर               |           |
|  | 176 | भाटी                  |           |
|  | 177 | संगम विहार            |           |
|  | 178 | देवली                 |           |
|  | 179 | टिगरी                 |           |
|  | 180 | दक्षिण पुरी एक्सटेंशन | दक्षिणी   |
|  | 181 | खानपुर                |           |
|  | 182 | अंबेडकर नगर           |           |
|  | 183 | मदनगीर                |           |
|  | 184 | पुष्प विहार           |           |
|  | 185 | तुगलकाबाद एक्सटेंशन   |           |
|  | 186 | संगम विहार पश्चिमी    | केन्द्रीय |
|  | 187 | संगम विहार केन्द्रीय  |           |
|  | 188 | संगम विहार पूर्वी     |           |
|  | 189 | चिराग दिल्ली          | दक्षिणी   |

|   |                        |     |                  |                |
|---|------------------------|-----|------------------|----------------|
|   |                        | 190 | चितरजन पार्क     | केन्द्रीय      |
|   |                        | 191 | शाहपुर जट        | दक्षिणी        |
|   |                        | 192 | ग्रेटर कैलाश-1   | केन्द्रीय      |
|   |                        | 193 | श्रीनिवास पुरी   |                |
|   |                        | 194 | ईस्ट ऑफ कैलाश    |                |
|   |                        | 195 | गोविन्द पुरी     |                |
|   |                        | 196 | कालकाजी          |                |
|   |                        | 197 | तुंगलकाबाद       |                |
|   |                        | 198 | पुल पेहलाद       |                |
|   |                        | 199 | तेह खंड          |                |
|   |                        | 200 | हरकेशनगर         |                |
|   |                        | 201 | जैतपुर           |                |
|   |                        | 202 | मीठा पुर         |                |
|   |                        | 203 | बदरपुर           |                |
|   |                        | 204 | मोलडबंद          |                |
|   |                        | 205 | जाकिर नगर        |                |
|   |                        | 206 | ओखला             |                |
|   |                        | 207 | मदनपुर खादर      |                |
|   |                        | 208 | सरिता विहार      |                |
| 3 | पूर्वी दिल्ली नगर निगम | 209 | मयूर विहार फेज-1 | शाहदरा दक्षिणी |
|   |                        | 210 | दल्लूपुरा        |                |
|   |                        | 211 | त्रिलोकपुरी      |                |
|   |                        | 212 | न्यू अशोक नगर    |                |
|   |                        | 213 | कल्याण पुरी      |                |
|   |                        | 214 | खिचड़ीपुर        |                |
|   |                        | 215 | कौंडली           |                |
|   |                        | 216 | घडोली            |                |
|   |                        | 217 | विनोद नगर        |                |
|   |                        | 218 | मंडावली          |                |
|   |                        | 219 | मयूर विहार फेज-2 |                |
|   |                        | 220 | पटपडगंज          |                |
|   |                        | 221 | किशन कुंज        |                |
|   |                        | 222 | लक्ष्मी नगर      |                |
|   |                        | 223 | शकरपुर           |                |
|   |                        | 224 | पाडव नगर         |                |
|   |                        | 225 | आनंद विहार       | शाहदरा दक्षिणी |
|   |                        | 226 | विश्वास नगर      |                |
|   |                        | 227 | आई0पी0 एक्सटेंशन |                |
|   |                        | 228 | प्रीत विहार      |                |
|   |                        | 229 | कृष्णा नगर       |                |
|   |                        | 230 | गीता कालोनी      |                |

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)**  
**8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI**

No. F.14(12)/LA-2011/

Dated the December, 2011

To

The Special Secretary (GAD),  
General Administration Department,  
Government of NCT of Delhi  
2<sup>nd</sup> Level, A-Wing,  
Delhi Secretariat,  
New Delhi.

11123  
By. Secy. of P. Secy (U.)  
29.12.11  
Date

**Sub: Gazette Extraordinary Notification of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 (Delhi Act 12 of 2011)**

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the subject cited notification (English and Hindi versions) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV)-Extra-Ordinary today itself. It is requested that at least 10 Gazette copies of the same may be sent to this Department as soon as received from the press.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.14(12)/LA-2011/ Law /261-70

Dated the 29 December, 2011

Copy, together with the copy of enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001 (with 5 copies).
2. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (with 2 copies).
3. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.
4. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
- ✓ 5. The Pr. Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
6. The Secretary to Minister of Urban Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
7. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
8. The Secretary (LA), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.
9. The Deputy Secretary (Admn.), Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi with the request to upload a copy of the this Act on Department's website.

(Tarun Sahrawat)  
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)



GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(12)/LA-2011/*Wlaw/260*

Dated the *29* December, 2011

**NOTIFICATION**

No.F.14(12)/LA-2011/*Wlaw/260* - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 23<sup>rd</sup> December, 2011 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011  
(DELHI ACT 12 OF 2011)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 1<sup>st</sup> December, 2011)

[23<sup>rd</sup> December, 2011]

Further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.** - (1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

✓ 2. **General.** - In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter referred to as the "principal Act" -

(a) for the words "The Corporation" or "the Corporation", wherever they occur, the words "A Corporation" every "Corporation", "each Corporation", or "Corporations", as the case may be, shall be substituted;

(b) for the words "Central Government" wherever occurring in different sections, the word "Government" shall be substituted except in sections 2(43), 2(51), 3(6), 9(1)(g), 22 (8), 31, 54, 90(8), 96 (c), 106, 185, 195 (1), proviso to 195 (2), 485, 486, 487, 488 and 490, 490A.

(c) for the word "Delhi" wherever occurring in sections 3(5), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147 (1), 298, 301, 355, 394, 399, and 481, the words "the area of the Corporation" shall be substituted;

and there shall also be made in any sentence in which those words occur such changes as the rules of grammar require.

DVS

*for*

3. Amendment of section 2. — In the principal Act, in section 2, -

(a) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely: -

"(6) "Commissioner" means the Commissioner of a Corporation;";

(b) for clause (7), the following clause shall be substituted, namely: -

"(7) "Corporation" means a Corporation established under this Act;";

(c) in clause (51), after the words "Central Government", the words "and the Government" shall be inserted.

4. Substitution of new heading for the heading of Chapter II. — In the principal Act, for the heading of Chapter II, the following heading shall be substituted, namely: -

"ESTABLISHMENT OF CORPORATIONS".

5. Substitution of new sub-heading for the sub-heading of Chapter II. — In the principal Act, for the sub-heading of Chapter II, the following sub-heading shall be substituted, namely: -

"Constitution of Corporations".

✓ 6. Amendment of section 3. — In the principal Act, in section 3, -

(a) for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely: -

"(1) The Government shall, by notification in the official Gazette, establish for the purposes of this Act, three Corporations charged with the municipal government of Delhi.

(1A) The name, area and limits of the three corporations established under sub-section (1) shall be as per the fourteenth schedule;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely: -

" (2) Every Corporation so established shall be a body corporate with name duly notified by the Government having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and may by the said name sue and be sued."

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely: -



"(5) The total number of seats of councilors and the number of seats reserved for the members of the Scheduled Castes in each Corporation, shall, at the time of establishment of such Corporation, be as determined by the Government by notification in the official Gazette";

(d) In sub-section (6), -

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the total number of seats in all the Corporations in Delhi shall in no case be more than two hundred and seventy two and the number of seats in each Corporation shall be determined by the Government at the time of establishment of such Corporations:";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided also that for the first election to the Corporations to be held immediately after the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, the population figures of every such Corporation as published in relation to 2001 census shall be deemed to be the population thereof as ascertained in that census.";

(e) In sub-section (7), -

(i) for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.

(ii) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.

(f) in sub-section (8), -

(iii) for the words "Central Government" wherever occurring, the word "Government" shall be substituted;

(iv) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.

✓ 7. Substitution of new section for section 3A. - In the principal Act, for section 3A, the following section shall be substituted, namely: -

"3A. Division of the area of a Corporation into zones and wards. - (1) The area of every Corporation shall be divided into a number of zones and each zone into a number of wards as specified in the Fourteenth Schedule.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, alter the number or the name, and increase or diminish the area of any zone or ward specified in the Fourteenth Schedule."



*[Handwritten signature]*

8. Amendment of section 5. — In the principal Act, in section 5,-

(a) in sub-section (1), -

(i) for the word "Delhi" occurring after the word "councilors," and before the word "shall", the words "the area of a Corporation" shall be substituted;

(ii) for the word "Delhi" occurring at the end thereof, the words "the area of that Corporation" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.

9. Amendment of section 6. — In the principal Act, in section 6, for the opening phrase "The Corporation, with the previous approval of the Central Government," the following phrase shall be substituted, namely: -

"A Corporation, with the previous approval of the Government."



10. Amendment of section 52. — In the principal Act, in section 52 in sub-section (2), for the opening phrase "The Central Government may, after consultation with the Government", the words "The Government may" shall be substituted.

✓ 11. Amendment of section 69. — In the principal Act, in section 69, the word "Delhi" shall be omitted.

? 12. Insertion of new section 90A - In the principal Act, after section 90, the following section shall be inserted, namely :

"90A. Certain officers and employees of the erstwhile corporation to become officers and employees of respective corporations —

(1) On the establishment of the Corporations under sub-section (1) of section 3—

(a) the officers and employees of the erstwhile Corporation at the ward and zonal level shall become officers and employees of the respective new Corporations

(b) the officers and employees of the erstwhile Corporation, other than those covered under clause (a), shall be divided amongst the new Corporations by the Director of Local Bodies in consultation with the Commissioner of the erstwhile Corporation

13. Amendment of section 99. - In the principal Act, in section 99, in sub-section (1), in the concluding phrase thereof, for the words and brackets "the Municipal Fund of Delhi (hereafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")", the following words and brackets shall be substituted, namely: -

"by the name of the area of the Corporation as specified by the Government under sub-section (1A) of section 3 (hereinafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")".

14. Substitution of section 100.- In the principal Act, for section 100, the following section shall be substituted, namely: -

"100. Municipal Fund to be kept in the State Bank of India. - All moneys payable to the credit of the Municipal Fund in the General Account shall be received by the Commissioner of each Corporation and shall be forthwith paid into the State Bank of India to the credit of the said Account which shall be entitled "The General Account of the Municipal Fund of the Corporation."



15. Amendment of section 203. - In the principal Act, in section 203, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

(3) The contracts already made in accordance with the provisions of the the bye-laws made thereunder prior to the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 shall be deemed to have been executed on behalf of the respective Corporations constituted under sub-section (1) of section 3 by the Commissioner until the expiry of the validity of the period of the contract,

16. Amendment of section 298. - In the principal Act, in section 298 for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(1) All streets within the jurisdiction of each Corporation constituted under sub-section (1) of section 3 of the this Act which are or at any time become public streets, and the pavements, stones and other materials thereof shall vest in such Corporation :

"provided that no public street which immediately before the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 vested in the Union, shall, unless the Central Government with the consent of the concerned Corporation so directs, vest in such Corporation by virtue of this sub-section."

A handwritten signature in dark ink, possibly of the Minister or a senior official.

17. Amendment of section 479. — In the principal Act, in section 479, -

(a) in sub-section (2), for the words "Every rule made under this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and bye-laws made by the Central Government under section 349A", the words "Every rule made under clause (8) of section 22 and section 31" shall be substituted.

(b) after sub-section(2), the following section shall be inserted, namely: -

"(3).- Every rule made under this Act, except rules made under section 22(8) and section 31 of this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and bye-law made by the Government under section 349A shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, bye-laws or notification or the Legislative Assembly agrees that the rule or bye-laws or notification should not be made or issued, the rule or bye-laws or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or bye-law or notification."



18. Substitution of new section for section 481A. — In the principal Act, for section 481A, the following section shall be substituted, namely: -

"481A. Regulations and bye-laws to be laid before Legislative Assembly of Delhi. — The Government shall cause every regulation made under this Act and every bye-law made under section 481 to be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the regulation or bye-law or the Legislative Assembly agrees that the regulation or bye-law should not be made or issued, the regulation or bye-law shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation or bye-law."

*Handwritten signature or initials.*

- ✓ 19. Insertion of new section 484A. – In the principal Act, in Chapter XXIV, after the heading thereof, and before section 485, the following section shall be inserted, namely: -

**"484A. (1) Director of Local Bodies** - The Government shall appoint a Director of Local Bodies to assist the Government and discharge functions including –

- (i) to coordinate the functions of the Corporations in respect of the common facilities and services that are under the control and management of the Corporation in whose area they are located ;
- (ii) to decide, in the interim, the utilization of various assets and discharge of liabilities by the Corporations ;
- (iii) to frame the recruitment rules for various posts ;
- (iv) to resolve the functional and administrative anomalies or difficulties arising, if any, after constitution of the three corporations in consultation with the Commissioner(s) thereof ;
- (v) to coordinate the collection and sharing of Toll Tax from Toll centres / gates that are under the control of respective Corporations in which they are located on the basis of such principles as may be prescribed.

(2) The Director of Local Bodies shall exercise such powers of the Government in relation to the affairs of the Corporations (not being power under sections 487 to 490), as the Government may, by notification in the official Gazette and subject to the conditions and restrictions (including the condition of review by itself), specify in the notification.

(3) The terms and conditions of service and the tenure of office of the Director of Local Bodies shall be such as the Government may, by rules, prescribe.

(4) The Government shall make available to the Director of Local Bodies such staff as the Government considers necessary for the exercise of the powers conferred on him under sub-section (2)



- ? 20. Insertion of new section 490B. – In the principal Act, after section 490A, the following section shall be inserted, namely: -

*[Handwritten signature]*

"490B.- Delegation of power by the Government. – The Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by any of its officers or by Commissioner or by any other authority."

✓ 21. Insertion of new section 514 B. - In the principal Act, after section 514 A, the following section shall be inserted,:

" 514-B. Overriding effect of the provisions of the Delhi Development Act, 1957.- Notwithstanding anything contained in this Act, in case of any repugnancy between the provisions of this Act and the provisions of the Delhi Development Act, 1957, the provisions of the Delhi Development Act, 1957 shall prevail over the provisions of this Act.

✓ 22. Substitution of Fourteenth Schedule. – In the principal Act, for the Fourteenth Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :-

#### THE FOURTEENTH SCHEDULE

(See section 3A)

#### THE NAME, AREAS AND LIMITS OF CORPORATIONS

| S.No. | Name of the Corporations          | Ward No. | Name of the ward      | Name of the zone |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 1.    | North Delhi Municipal Corporation | 1        | Narela                | Narela           |
|       |                                   | 2        | Bankner               |                  |
|       |                                   | 3        | Alipur                |                  |
|       |                                   | 4        | Bakhtawar Pur         |                  |
|       |                                   | 5        | Bhalswa Jahangir Puri | Civil Lines      |
|       |                                   | 6        | Mukund Pur            |                  |
|       |                                   | 7        | Burari                |                  |
|       |                                   | 8        | Jharoda               |                  |
|       |                                   | 9        | Malka Garj            |                  |
|       |                                   | 10       | Timar Pur             |                  |
|       |                                   | 11       | Mukherjee Nagar       |                  |
|       |                                   | 12       | G.T.B. Nagar          |                  |
|       |                                   | 13       | Dhir Pur              |                  |
|       |                                   | 14       | Adarsh Nagar          |                  |
|       |                                   | 15       | Sarai Pipal Thala     |                  |
|       |                                   | 16       | Jahangir Puri-I       |                  |
|       |                                   | 17       | Samaypur Badli        |                  |
|       |                                   | 18       | Libas Pur             |                  |
|       |                                   | 19       | Bhalswa               |                  |
|       |                                   | 20       | Jahangir Puri-II      |                  |
|       |                                   | 21       | Rohini                |                  |
|       |                                   | 22       | Rithala               |                  |

4/11/15  
DVS



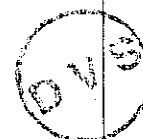
|  |    |                       |                 |
|--|----|-----------------------|-----------------|
|  | 23 | Budh Vihar            |                 |
|  | 24 | Vijay Vihar           |                 |
|  | 25 | Pooth kalan           |                 |
|  | 26 | Sahibabad Dault Pur   |                 |
|  | 27 | Begampur              |                 |
|  | 28 | Bawana                |                 |
|  | 29 | Karala                | Narela          |
|  | 30 | Mundaka               |                 |
|  | 31 | Nangloi Jat West      | Nangolgarh      |
|  | 32 | Nilothi               | Narela          |
|  | 33 | Pratap Nagar          |                 |
|  | 34 | Nithari               |                 |
|  | 35 | Kirai Suleman Nagar   |                 |
|  | 36 | Prem Nagar            |                 |
|  | 37 | Sultanpuri East       | Rohini          |
|  | 38 | Mangol Puri North     |                 |
|  | 39 | Sultanpur Majra       |                 |
|  | 40 | Sultanpuri South      |                 |
|  | 41 | Guru Harikishan Nagar |                 |
|  | 42 | Peeragarhi            | West            |
|  | 43 | Nangloi East          |                 |
|  | 44 | Quamruddin Nagar      |                 |
|  | 45 | Rohini South          | Rohini          |
|  | 46 | Mangolpuri East       |                 |
|  | 47 | Mangolpuri            |                 |
|  | 48 | Mangolpuri West       |                 |
|  | 49 | Rohini North          |                 |
|  | 50 | Rohini Central        |                 |
|  | 51 | Rohini East           |                 |
|  | 52 | Naharpur              | Rohini          |
|  | 53 | Pitampura South       |                 |
|  | 54 | Pitampura North       |                 |
|  | 55 | Shalimar Bagh North   |                 |
|  | 56 | Shalimar Bath South   |                 |
|  | 57 | Paschim Vihar South   |                 |
|  | 58 | Paschim Vihar North   | West            |
|  | 59 | Rani Bagh             |                 |
|  | 60 | Saraswati Vihar       |                 |
|  | 61 | Tri Nagar             |                 |
|  | 62 | Rampura               |                 |
|  | 63 | Kohat Enclave         |                 |
|  | 64 | Shakur Pur            | Rohini          |
|  | 65 | Nimri Colony          |                 |
|  | 66 | Sawan Park            |                 |
|  | 67 | Wazirpur              |                 |
|  | 68 | Ashok Vihar           |                 |
|  | 69 | Kamla Nagar           |                 |
|  | 70 | Rana Pratap Bagh      |                 |
|  | 71 | Sangam Park           |                 |
|  | 72 | Model Town            | Civil Lines     |
|  | 73 | Shastri Nagar         |                 |
|  | 74 | Inder Lok Colony      | S.P. Zone       |
|  | 75 | Kishan Ganj           |                 |
|  | 76 | Deputy Ganj           | Karol Bagh Zone |
|  | 77 | Kashmere Gate         |                 |
|  | 78 | Majnu Ka Tilla        |                 |
|  | 79 | Jama Masjid           | Civil Lines     |
|  | 80 | Chandni Chowk         |                 |
|  | 81 | Minto Road            |                 |
|  | 82 | Kucha Pandit          | City            |
|  | 83 | Bazaar Sita Ram       |                 |
|  | 84 | Turkman Gate          |                 |
|  | 85 | Idgah Road            |                 |
|  | 86 | Ballimaran            | S. P. Zone      |
|  | 87 | Ram Nagar             | City            |
|  | 88 | Qasabpura             | S.P. Zone       |
|  | 89 | Paharganj             |                 |
|  | 90 | Model Basti           |                 |
|  | 91 | Karol Bagh            |                 |
|  | 92 | Dev Nagar             |                 |
|  | 93 | Baljit Nagar          | Karol Bagh Zone |

*[Handwritten signature]*

|    |                                   |     |                             |                 |
|----|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
|    |                                   | 94  | West Patel Nagar            | Karol Bagh Zone |
|    |                                   | 95  | East Patel Nagar            |                 |
|    |                                   | 96  | New Ranjit Nagar            |                 |
|    |                                   | 97  | Kirti Nagar                 | West            |
|    |                                   | 98  | Mansarovar Garden           |                 |
|    |                                   | 99  | Moti Nagar                  |                 |
|    |                                   | 100 | Karam Pura                  | Karol Bagh Zone |
|    |                                   | 149 | Rajinder Nagar              |                 |
|    |                                   | 150 | Pusa                        |                 |
|    |                                   | 151 | Inderpuri                   | West            |
|    |                                   | 152 | Naraina                     |                 |
| 2. | South Delhi Municipal Corporation | 101 | Raja Garden                 |                 |
|    |                                   | 102 | Raghubir Nagar              | West            |
|    |                                   | 103 | Punjabi Bagh                |                 |
|    |                                   | 104 | Madipur                     |                 |
|    |                                   | 105 | Rajouri Garden              | West            |
|    |                                   | 106 | Tagore Garden               |                 |
|    |                                   | 107 | Vishnu Garden               |                 |
|    |                                   | 108 | Khyala                      | West            |
|    |                                   | 109 | Janak Puri North            |                 |
|    |                                   | 110 | Nangal Raya                 |                 |
|    |                                   | 111 | Hari Nagar                  | West            |
|    |                                   | 112 | Subash Nagar                |                 |
|    |                                   | 113 | Mahavir Nagar               |                 |
|    |                                   | 114 | Tilak Nagar                 | West            |
|    |                                   | 115 | Major Bhupinder Singh Nagar |                 |
|    |                                   | 116 | Vikaspuri East              |                 |
|    |                                   | 117 | Janakpuri West              | Najafgarh       |
|    |                                   | 118 | Janakpuri South             |                 |
|    |                                   | 119 | Milap Nagar                 |                 |
|    |                                   | 120 | Sitapuri                    | West            |
|    |                                   | 121 | Kanwar Singh Nagar          |                 |
|    |                                   | 122 | Hastals                     |                 |
|    |                                   | 123 | Vikaspuri                   | West            |
|    |                                   | 124 | Vikas Nagar                 |                 |
|    |                                   | 125 | Mohan Garden                |                 |
|    |                                   | 126 | Nawada                      | West            |
|    |                                   | 127 | Uttam Nagar                 |                 |
|    |                                   | 128 | Bindapur                    |                 |
|    |                                   | 129 | Dabri                       | Najafgarh       |
|    |                                   | 130 | Manglapuri                  |                 |
|    |                                   | 131 | Sagarpur                    |                 |
|    |                                   | 132 | Sagarpur West               | Najafgarh       |
|    |                                   | 133 | Chhawla                     |                 |
|    |                                   | 134 | Nangli Sakravali            |                 |
|    |                                   | 135 | Kakraula                    | Najafgarh       |
|    |                                   | 136 | Maliala                     |                 |
|    |                                   | 137 | Roshanpura                  |                 |
|    |                                   | 138 | Najafgarh                   | Najafgarh       |
|    |                                   | 139 | Dichaon Katan               |                 |
|    |                                   | 140 | Khera                       |                 |
|    |                                   | 141 | Bijwasan                    | Najafgarh       |
|    |                                   | 142 | Raj Nagar                   |                 |
|    |                                   | 143 | Kapashera                   |                 |
|    |                                   | 144 | Mahipalpur                  | Najafgarh       |
|    |                                   | 145 | Palam                       |                 |
|    |                                   | 146 | Sadh Nagar                  |                 |
|    |                                   | 147 | Mahavir Enclave             | Najafgarh       |
|    |                                   | 148 | Madhu Vihar                 |                 |
|    |                                   | 153 | Darya Ganj                  |                 |
|    |                                   | 154 | Nizamuddin                  | City            |
|    |                                   | 155 | Lajpat Nagar                |                 |
|    |                                   | 156 | Bhogal                      |                 |
|    |                                   | 157 | Kasturba Nagar              | Central         |
|    |                                   | 158 | Kotla Mubarakpur            |                 |
|    |                                   | 159 | Andrews Ganj                |                 |
|    |                                   | 160 | Amar Colony                 | Central         |
|    |                                   | 161 | Malviya Nagar               |                 |
|    |                                   | 162 | Village Hauz Rani           |                 |
|    |                                   | 163 | Saldargunj Enclave          | Central         |
|    |                                   | 164 | Hauz Khas                   |                 |
|    |                                   | 165 | Vasani Vihar                |                 |

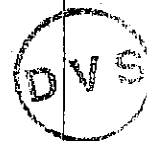


|    |                                  |     |                      |                |
|----|----------------------------------|-----|----------------------|----------------|
|    |                                  | 166 | Munirka              | South          |
|    |                                  | 167 | R.K.Puram            |                |
|    |                                  | 168 | Nanak Pura           |                |
|    |                                  | 169 | Lado Sarai           |                |
|    |                                  | 170 | Mehrauli             |                |
|    |                                  | 171 | Vasant Kunj          |                |
|    |                                  | 172 | Kishangarh           | Najafgarh      |
|    |                                  | 173 | Said ul Ajab         |                |
|    |                                  | 174 | Chhalarpur           |                |
|    |                                  | 175 | Aya Nagar            | South          |
|    |                                  | 176 | Bhali                |                |
|    |                                  | 177 | Sangam Vihar         |                |
|    |                                  | 178 | Deoli                |                |
|    |                                  | 179 | Tigri                |                |
|    |                                  | 180 | Dakshin Puri Extn.   |                |
|    |                                  | 181 | Khanpur              |                |
|    |                                  | 182 | Ambedkar Nagar       |                |
|    |                                  | 183 | Madangir             |                |
|    |                                  | 184 | Pushp Vihar          |                |
|    |                                  | 185 | Tuglakabad Extn.     |                |
|    |                                  | 186 | Sangam Vihar West    | Central        |
|    |                                  | 187 | Sangam Vihar Central |                |
|    |                                  | 188 | Sangam Vihar East    |                |
|    |                                  | 189 | Chiragh Delhi        | South          |
|    |                                  | 190 | Chittaranjan Park    | Central        |
|    |                                  | 191 | Shahput Jal          | South          |
|    |                                  | 192 | Greater Kailash-I    |                |
|    |                                  | 193 | Srinivas Puri        |                |
|    |                                  | 194 | East of Kailash      |                |
|    |                                  | 195 | Govind Puri          |                |
|    |                                  | 196 | Kalkaji              |                |
|    |                                  | 197 | Tughlakabad          |                |
|    |                                  | 198 | Pul Pehlad           |                |
|    |                                  | 199 | Teh Khand            |                |
|    |                                  | 200 | Harkeshnagar         | Central        |
|    |                                  | 201 | Jailpur              |                |
|    |                                  | 202 | Meelha Pur           |                |
|    |                                  | 203 | Badarpur             |                |
|    |                                  | 204 | Molarband            |                |
|    |                                  | 205 | Zakir Nagar          |                |
|    |                                  | 206 | Okhla                |                |
|    |                                  | 207 | Madanpur Khadar      |                |
| 3. | East Delhi Municipal Corporation | 208 | Sarila Vihar         |                |
|    |                                  | 209 | Mayor Vihar Ph-I     |                |
|    |                                  | 210 | Dallupura            |                |
|    |                                  | 211 | Trilok Puri          |                |
|    |                                  | 212 | New Ashok Nagar      |                |
|    |                                  | 213 | Kalyan Puri          | Shahdara South |
|    |                                  | 214 | Klichripur           |                |
|    |                                  | 215 | Kondli               |                |
|    |                                  | 216 | Gharoli              |                |
|    |                                  | 217 | Vinod Nagar          |                |
|    |                                  | 218 | Mandawali            |                |
|    |                                  | 219 | Mayur Vihar Ph-II    |                |
|    |                                  | 220 | Palparganj           |                |
|    |                                  | 221 | Kishan Kunj          |                |
|    |                                  | 222 | Laxmi Nagar          |                |
|    |                                  | 223 | Shakarpur            |                |
|    |                                  | 224 | Pandav Nagar         |                |
|    |                                  | 225 | Anand Vihar          |                |
|    |                                  | 226 | Vishwash Nagar       |                |
|    |                                  | 227 | I.P.Extension        | Shahdara South |
|    |                                  | 228 | Preet Vihar          |                |
|    |                                  | 229 | Krishna Nagar        |                |
|    |                                  | 230 | Geela Colony         |                |
|    |                                  | 231 | Ghondli              |                |
|    |                                  | 232 | Anarkali             |                |
|    |                                  | 233 | Dhara Pura           |                |
|    |                                  | 234 | Gandhi Nagar         |                |
|    |                                  | 235 | Azad Nagar           |                |
|    |                                  | 236 | Raghubar Pura        |                |
|    |                                  | 237 | Shahdara             |                |



*Handwritten signature/initials.*

|  |     |                    |                |
|--|-----|--------------------|----------------|
|  | 238 | Jhimil             |                |
|  | 239 | Vivek Vihar        |                |
|  | 240 | Dilshad Colony     |                |
|  | 241 | Dilshad Garden     |                |
|  | 242 | New Seema Puri     |                |
|  | 243 | Nand Nagri         |                |
|  | 244 | Sunder Nagri       |                |
|  | 245 | Durga Puri         |                |
|  | 246 | Ashok Nagar        |                |
|  | 247 | Ram Nagar          | Shahdara North |
|  | 248 | Welcome Colony     |                |
|  | 249 | Chauhan Bangar     |                |
|  | 250 | Zaffabad           |                |
|  | 251 | New Usmanpur       |                |
|  | 252 | Mauj Pur           |                |
|  | 253 | Bhajanpura         |                |
|  | 254 | Brahampuri         |                |
|  | 255 | Ghonda             |                |
|  | 256 | Yamuna Vihar       |                |
|  | 257 | Subbash Mohalla    |                |
|  | 258 | Kardampur          |                |
|  | 259 | Janta Colony       |                |
|  | 260 | Babarpur           |                |
|  | 261 | Jiwanpur           |                |
|  | 262 | Gokalpur           |                |
|  | 263 | Saboli             |                |
|  | 264 | Harsh Vihar        | Shahdara North |
|  | 265 | Shiv Vihar         |                |
|  | 266 | Karawal Nagar East |                |
|  | 267 | Nehru Vihar        |                |
|  | 268 | Musafabad          |                |
|  | 269 | Khajoori Khas      |                |
|  | 270 | Tukhim Pur         |                |
|  | 271 | Karawal Nagar West |                |
|  | 272 | Sonia Vihar        |                |



*Tarun Sahrawat*  
29/12/11

(Tarun Sahrawat)

Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

|  |     |                   |               |
|--|-----|-------------------|---------------|
|  | 231 | घोंडली            |               |
|  | 232 | अनारकली           |               |
|  | 233 | धारा पुरा         |               |
|  | 234 | गोंधी नगर         |               |
|  | 235 | आजाद नगर          |               |
|  | 236 | रघुबरपुरा         |               |
|  | 237 | शाहदरा            |               |
|  | 238 | झिलमिल            |               |
|  | 239 | विवेक विहार       |               |
|  | 240 | दिलशाद कालोनी     |               |
|  | 241 | दिलशाद गार्डन     |               |
|  | 242 | न्यू सीमापुरी     |               |
|  | 243 | नंद नगरी          |               |
|  | 244 | सुंदर नगरी        |               |
|  | 245 | दुर्गापुरी        |               |
|  | 246 | अशोक नगर          | शाहदरा उत्तरी |
|  | 247 | राम नगर           |               |
|  | 248 | वेलकम कालोनी      |               |
|  | 249 | चौहान बांगर       |               |
|  | 250 | जाफराबाद          |               |
|  | 251 | न्यू उस्मानपुर    |               |
|  | 252 | मौजपुर            |               |
|  | 253 | भजनपुरा           |               |
|  | 254 | ब्रह्मपुरी        |               |
|  | 255 | घोंडा             |               |
|  | 256 | यमुना विहार       |               |
|  | 257 | सुभाष मोहल्ला     |               |
|  | 258 | कर्दमपुरी         |               |
|  | 259 | जनता कालोनी       |               |
|  | 260 | बाबरपुर           |               |
|  | 261 | जीवनपुर           |               |
|  | 262 | गोकलपुर           |               |
|  | 263 | सबोली             |               |
|  | 264 | हर्ष विहार        | शाहदरा उत्तरी |
|  | 265 | शिव विहार         |               |
|  | 266 | करावल नगर पूर्वी  |               |
|  | 267 | नेहरू विहार       |               |
|  | 268 | मुस्तफाबाद        |               |
|  | 269 | खजूरी खास         |               |
|  | 270 | तुखीम पुर         |               |
|  | 271 | करावल नगर पश्चिमी |               |
|  | 272 | सोनिया विहार      |               |

तरुन सहरावत  
(तरुन सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)